तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./1693/2003/उदयपुर गिरधारी लाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री ओ.पी. भट्ट, उप राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 09.07.2019

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–12–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के पूर्वज गिरधारी को ग्राम बुझडा स्थित आराजी खसरा नम्बर 159 में से 05बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 27–01–1983 को किया गया। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसे उन्होंने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 25–10–1994 से खारिज कर दिया। इस निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या–2 ने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./1693/2003/उदयपुर गिरधारी लाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–12–2002 से स्वीकार कर प्रकरण निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 18–08–2006 से प्रार्थीगण के पूर्वज गिरधारीलाल पुत्र नाथूलाल के पक्ष में साबिक आराजी नम्बर 159 में से 05बीघा भूमि के आवंटन को निरस्त कर विवातिद आराजी को वन विभाग के नाम दर्ज करने क आदेश पारित कर दिये है। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण में अन्तिम निर्णय दिनांक 18–08–2006 को पारित कर दिया है। ऐसी स्थिति में प्रतिप्रेषित निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी निष्प्रभावी होने से खारिज की जाती है।

निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य